

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./135/2010/5046


भोपाल, दिनांक 27/09/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलेज क्र.-2 में उत्त्नेषित सहायक शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समाप्त सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उषा सोनी, सहा. शिक्षिका,	AB 8366	शा.प्रा.वि.कटियाघाट संकुल शा.क.उभावि ब्यौहारबाग जिला जबलपुर	23390218315	शाजापुर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई च्युटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय का अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपरिथत होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


कृ.पू.उ.

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./135/2010/5047
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 27/09/2010

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
 2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदय., स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 1420 दिनांक 15.06.2010 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
 3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
 4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
 5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल ।
 6. कलेक्टर, जिला- जबलपुर एवं शाजापुर म.प्र. ।
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- जबलपुर एवं शाजापुर म.प्र ।
 8. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग जबलपुर एवं उज्जैन मध्यप्रदेश ।
 9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जबलपुर एवं शाजापुर म.प्र . ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- 10 सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
 - 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश